न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 237/2022 तारीख दायर :– 09/06/2022

अनवान

सोहनी पत्नि घीसादास जाति बैरागी उम्र व्यसक निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.........प्रार्थी

बनाम

1. विमल पिता नेमीचन्द जैन जाति जैन उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. राजैन्द्र सिंह ,महेन्द्र सिंह, रमेशसिंह पिता मदनसिंह जाति चारण निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक :–

प्रार्थना पत्र सोहनी पत्नि घीसादास जाति बैरागी उम्र व्यसक निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

जरिये अभिभाषक सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भुमि मौजा मौजा पचानपुरा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी भु अभिलेख निरीक्षक सलावटिया तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 32 पर स्थित आराजी नम्बर 99 कुल किता 1 रकबा 0.5180 हेक्टेयर भुमि दर्ज है।विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है।अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र सलंग्न है।प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी 2074–2077 के अवलोकन में प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है।पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलंग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया।प्रार्थी की खातेदारी भुमि मौजा पचानपुरा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी भु अभिलेख निरीक्षक सलावटिया तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 32 पर स्थित आराजी नम्बर 99 कुल किता 1 रकबा 0.5180 हेक्टेयर भुमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सुचित करते हुये पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।भु0अ0नि0 .... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।प्रार्थना पत्र निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकार
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाडा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान

प्रकरण संख्याः– 237/22 तारीखः– 09/06/22

प्रेषितिः–

तहसीलदार

बिजौलियां

सोहनी पत्नि घीसादास जाति बैरागी उम्र व्यसक निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.........प्रार्थी

बनाम

1. विमल पिता नेमीचन्द जैन जाति जैन उम्र व्यस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. राजैन्द्र सिंह ,महेन्द्र सिंह, रमेशसिंह पिता मदनसिंह जाति चारण निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू.राजस्व.अधिनियम

उर्पयुक्त विषयार्न्तगत अनुवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा पचानपुरा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी भु अभिलेख निरीक्षक सलावटिया तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 32 पर स्थित आराजी नम्बर 99 कुल किता 1 रकबा 0.5180 हेक्टेयर भुमि जिसपर की बाशमालात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावै।मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 10 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाडा